न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 54/2023

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. पुखदास पुत्र हेमदास जाति साद निवासी सादो का वास, नोखडा जिला बाड़मेर (मैसर्स हेमदास मांगीलाल जनरल स्टोर, नोखडा का मालिक) 2. कपिल कुमार पुत्र पारस मल निवासी जैन न्याती नोहरे की गली, बाडमेर (मैसर्स एस के ट्रेडिंग क. कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का मालिक) 3. धनानी कांतिलाल बाबूभाई निवासी 273, राजदीप सोसायटी–3 मावडी गुरूकुल के सामने, मावडी प्लोट, राजकोट, गुजरात (फर्म मैसर्स प्रसंग फूड प्रोडेक्ट, 6 फ्लोर, एल्फा, पिर, हॉस्पीटल के पास, आशा रेजिडेंसी के सामने, राजकोट, गुजरात का मालिक)

<u>परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचंद जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 19.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा [illegible] सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण [illegible] है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के [illegible] तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स हेमदास मांगीलाल जन[illegible] द्वारा निरीक्षण दिनांक 2[illegible]023 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अलग–अलग पैकिंग भरा हुआ खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग ब्राण्ड) (गाय का प्रिमियम घी) (01–01 लीटर के 10 जार)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **01–01 लीटर के 04 जार** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1966** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग ब्राण्ड) (गाय का प्रिमियम घी)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (प्रसंग ब्राण्ड) (गाय का प्रिमियम घी)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिरक्षण में जवाब प्रस्तुत किया कि **Saponification value** जो 205 से 235 होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मात्रा 236.96 आई है, जो कि मात्र गर्मी की वजह से आई है, तथा **Iodine value** जो 25 से 38 होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मात्रा 38.72 आई है, जो कि मात्र गर्मी एवं ओस की वजह से आई है। अतः इस आधार पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **10.04.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Saponification value** का मानक स्तर **205 to 235** के मुकाबले **236.96** तथा **Iodine value** का मानक स्तर **25 to 38** के मुकाबले **38.72** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिरक्षण में जवाब प्रस्तुत किया कि **Saponification value** जो 205 से 235 होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मात्रा 236.96 आई है, जो कि मात्र गर्मी की वजह से आई है, तथा **Iodine value** जो 25 से 38 होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मात्रा 38.72 आई है, जो कि मात्र गर्मी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

ओस की वजह से आई है। अतः इस आधार पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में किसी भी स्तर पर खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के साथ–साथ विनियमों की पालना के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये 20,000/–, अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 50,000/– तथा अप्रार्थी संख्या 03 पर रूपये 1,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 19.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested